सामग्री सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति

विषय-सूची

1. उद्देश्य और दायरा 2
2. 'सामग्री' सहायक की पहचान 2
3. शासन ढांचा.....2
4. सामग्री सहायक का निपटान.....3
5. पॉलिसी का प्रकटीकरण 3
6. नीति समीक्षा..... 3
7. सीमा और संशोधन 3

उद्देश्य और दायरा:

'सामग्री' सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए नीति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (इसके बाद "सेबी एलओडीआर विनियम" के रूप में संदर्भित) के विनियमन 16 और 24 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है।

नीति का उपयोग कंपनी की सामग्री सहायक कंपनियों को निर्धारित करने और ऐसी सहायक कंपनियों के लिए शासन ढांचा प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

इस नीति में प्रयुक्त सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों, जब तक कि इसके बाद परिभाषित न किया गया हो, का अर्थ क्रमशः सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत और इसकी परिभाषा या स्पष्टीकरण के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों, अधिसूचनाओं और समय-समय पर यथा संशोधित/जारी किए गए परिपत्रों के अनुसार होगा।

1) सामग्री की सहायक:

"सामग्री सहायक" का अर्थ सेबी एलओडीआर विनियमों में परिभाषित कंपनी से होगा।

2) शासन ढाँचा:

1. कंपनी के बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय विवरणों की समीक्षा करेगी, गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश।

2. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे।

3. प्रबंधन समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाएगा, असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का विवरण।

   "महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था" का अर्थ होगा लेनदेन या व्यवस्था जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों में परिभाषित किया गया है।

4. कंपनी का एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध सामग्री सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक होगा।

   "असूचीबद्ध सामग्री सहायक" का अर्थ सेबी एलओडीआर विनियमों में परिभाषित कंपनी से होगा।

3) सामग्री सहायक का निपटान:

कंपनी नहीं करेगी:

1. अपनी सामग्री सहायक कंपनी में शेयरों का निपटान करना जो अपनी शेयरधारिता (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) को 50% से कम कर देगा या अपनी आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किए बिना सहायक कंपनी पर नियंत्रण के अभ्यास को समाप्त कर देगा, उन मामलों को छोड़कर जहां इस तरह के विनिवेश को न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत किया जाता है।

2. विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन के बिना एक वित्तीय वर्ष के दौरान समग्र आधार पर सामग्री सहायक की परिसंपत्तियों के बीस प्रतिशत से अधिक की बिक्री, निपटान और पट्टे पर संपत्ति बेचना, निपटान और पट्टे पर देना, जब तक कि बिक्री/निपटान/पट्टा न्यायालय/न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित व्यवस्था की योजना के तहत नहीं किया जाता है।

4) नीति का प्रकटीकरण:

इस नीति का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाएगा और इस तरह के वेब लिंक भी होंगे वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

5) नीति समीक्षा:

यह नीति निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा के अधीन होगी जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है और किसी भी नियामक संशोधन के अनुसार।

6) सीमा और संशोधन

अधिनियम या सेबी एलओडीआर विनियम या किसी अन्य सांविधिक अधिनियमितियों ("विनियम") और इस नीति के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, विनियम इस नीति पर प्रबल होंगे। इस संबंध में विनियमों में कोई भी बाद का संशोधन/संशोधन, इस नीति पर स्वतः लागू होगा और बाद में निदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की जाएगी।